

प्रपत्र ५क
झारखण्ड सरकार
समाहरणालय पूर्वी-सिंहभूम, जमशेदपुर
(मू-अर्जन शाखा)

या
समाहर्ता या समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या-316

जमशेदपुर, दिनांक-07.09.2017

श्रीके समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-हरिणकुकी, थाना-घाटशिला, थाना नं०-106, अंचल-झारखण्ड, जिला-पूर्वी-सिंहभूम, में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, कथा परियोजना गालुडीह बराज से निःसृत गालुडीह वॉकी मुख्य नहर निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अध्या नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में प्राधिकृत किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-हरिणकुकी, थाना-घाटशिला, थाना नं०-106, अंचल-झारखण्ड, जिला-पूर्वी-सिंहभूम में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कम्पेन्स-0.37 एकड़ बानि-C.150 हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनहीन है-----

क्र. सं०	खाला सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	सिद्धिद्वारा व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	16	1527	कायमी	मोटी-अर	0.11	शिवानी माल, पति-अनिरुद्ध माल	1527 अंश	1527 अंश	1526 अंश	1523 अंश
2	16	1526	कायमी	सालाब	0.06	शिवानी माल, पति-अनिरुद्ध माल	1527 अंश	1527 अंश	1526 अंश	1527 अंश
3	34	1525	कायमी	दोन-दो	0.01	इन्द्र प्रभा घोष, पति-रघुवरधाम घोष, एक अंश तथा स्वर्णलाल, पति-रघुवरधाम घोष	1525 अंश	1525 अंश	1527 अंश	1525 अंश
4	16	1523	कायमी	दोन-दो	0.19	अनिरुद्ध माल, पति-इश्वर चन्द्र माल	1523 अंश	1523 अंश	1523 अंश	1523 अंश
कुल- 0.37 एकड़ बानि-0.150 हेक्टेयर										

यह अधिसूचना मू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013) की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण विशेष मू-अर्जन पदाधिकारी सं०-1, के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्याक्षेप में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा-12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी